


रघुनाथ बनाम मनीष वगै

रीख हुक्म	<p>द्वारा</p> <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुं ५३५/२०२१</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>२५/५/२१</p>	<p>पलायनी केस हुई। वादी व उनके वकील ३५०/१ वादी व उनके वकील ने इसे को मोट प्रिचर्स एर इसे को स्वारिज करने का निवेदन किया इसे को मोट प्रिचर्स के आधार पर स्वारिज किया जाता है। पलायनी के ललभुमार होकर इसके से कम है व बाद तदमील कायिठ कतल है।</p> <p style="text-align: center;">   <b>उप जिला कलेक्टर</b>  <b>वजीरपुर</b> </p>	<p>रघुनाथ ३१/५/२१ रघुनाथ कीगा नो प्रोसेस नि १५/५/२१</p>